भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2234

जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सिफारिशें

2234. श्री कल्याण बनर्जी :

श्री बालाशौरी वल्लभनेनी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को भारत के उच्चतम न्यायालय सहित देश में अभी भी रिक्त पड़े न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति हेतु उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम से पुनर्विचार के साथ कई सिफारिशें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो कॉलेजियम द्वारा 01 दिसंबर, 2021 के बाद से प्राप्त हुए पुनरावृत्ति प्रस्तावों की कुल संख्या कितनी है और उक्त सिफारिशों में से अब तक स्वीकृत / निर्णय की गई सिफारिशों की संख्या कितनी है ; और

(ग) कॉलेजियम की नई सिफारिशों की वर्तमान स्थिति क्या और देश में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने तारीख 01.12.2021 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान 140 नामों (127 नए और 13 दोहराए गए) की सिफारिश की है । 127 नई सिफारिशों में से, 61 नियुक्तियां जिसमें एक अतिरिक्त न्यायाधीश की अवधि का विस्तार शामिल है, की गई हैं और 66 मामलें, जो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए हैं, सरकार के पास प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर है । उक्त अवधि के दौरान 13 प्रस्ताव दोहराए गए थे, जिनमें से 08 नियुक्तियां की गई हैं ।

उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाच एक सतत एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसमें राज्य और केन्द्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की अपेक्षा होती है। जबकि मौजूदा रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां सेवानिवृति, पदत्याग या उन्नयन के कारण और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण भी उत्पन्न होती रही हैं ।

****